न्यायालय अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ललितपुर।
उपस्थित– नवनीत कुमार भारती, उच्चतर न्यायिक सेवा, (ID No.UP1750)
UPLL010004282024

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 151/2024
(विचाराधीन बंदी से संबंधित प्रकरण)

उत्तर प्रदेश राज्य

........अभियोजन।

बनाम

रामू पुत्र प्यारेलाल उम्र 58 वर्ष निवासी महेशपुरा थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर उ०प्र०।

...........अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या 972/2023
अंतर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0
धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

अभियोजन की ओर से– श्री नरेन्द्र पाल सिंह गौर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) ललितपुर।

अभियुक्त की ओर से– श्री वैभव कुमार जैन, विद्वान चीफ डिफेंस लीगलएड काउंसिल, ललितपुर।

निर्णय

1. उक्त विशेष सत्र परीक्षण संख्या 151/2024 रामू पुत्र प्यारेलाल उम्र 58 वर्ष निवासी महेशपुरा थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर उ०प्र० के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 972/2023 अंतर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा विधिनुसार संज्ञान लेते हुये विचारण किया गया।

Digitally signed by NAVNEET KUMAR BHARTI
Date: 2026.08.14 16:42:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर **प्रदर्श क–1** इस प्रकार है कि वादिया मुकदमा सखी द्वारा टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 चौकी नेहरू नगर थाना कोतवाली ललितपुर पर इस आशय की दी गयी कि प्रार्थनी सखी पत्नी रामू ग्राम महेशपुरा जिला व कोतवाली ललितपुर की निवासी है। प्रार्थनी की लड़की X जो की अभी 14 साल की है उसके साथ उसके पिता रामू तनय प्यारेलाल ने दुष्कर्म किया है। प्रार्थनी और उसके लड़के काम करने इंदौर गए थे। आरोपी अपने घर में अपनी बच्ची X के साथ अकेला था। आरोपी ने उसके साथ बलात्कार और बहुत मारपीट की है। आरोपी ने एक आदमी से 30 हजार रुपये लेकर अपनी पत्नी और लड़को को मजदूरी करने इंदौर भेज दिया था। आरोपी ने लड़की को ये बोल कर यहाँ रोक लिया की वो आरोपी पिता के लिए रोटी बना देगी। अब जब कोई नहीं था तो आरोपी पिता ने प्रार्थनी की लड़की X के साथ दारू पीकर बलात्कार कर दिया। जब X ने अपनी माँ सखी को दिनांक 10–12–2023 को फोन करके पूरी घटना बताई। आज प्रार्थनी ट्रेन से ललितपुर लौटी तो वो चौकी प्रधाना को लेकर आपके पास आई है। आरोपी पिता के साथ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये। अतः प्रार्थनी सखी की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी रामू के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये।

3. वादिया मकदमा की टाईपशुदा तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर मु०अ०सं० 972/2023 अभियुक्त रामू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376(3), 323 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–11** पंजीकृत किया गया जिसका इन्द्राज जी०डी० कायमी सं० 4 दिनांक 13.12.2023 समय 00.12 बजे **प्रदर्श क–12** में करते हुए विवेचना प्रचलित की गई।

4. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना से संबंधित साक्षीगण के बयान दर्ज कर घटना स्थल का नक्शा नजरी **प्रदर्श क–9** तैयार कर तमामी विवेचना उपरांत साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्त रामू के विरूद्ध आरोपपत्र **प्रदर्श क–10** अन्तर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विवेचक द्वारा प्रदत्त आरोपपत्र के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा **अभियुक्त रामू** के विरूद्ध दिनांक 12.07.2024 को अन्तर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है।

साक्षी का क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का आशय	साक्षी द्वारा साबित प्रपत्र का नाम	साबित प्रपत्र पर डाले गये प्रदर्श की संख्या

पी.डब्लू.1	सखी	वादिया मुकदमा	तहरीर	**प्रदर्श क–1**
पी.डब्लू.2	**पीडिता X**	पीडिता	बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–2
पी.डब्लू.3	श्रीमती माधवी	प्रधानाध्यापक, पीडिता के जन्मतिथि से संबंधित प्रपत्र	एस.आर. रजिस्टर की छायाप्रतियां	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4
पी.डब्लू.4	डॉ० अनुराग यादव	रेडियोलॉजिस्ट	1.एक्सरे रिपोर्ट 2. आयु प्रमाण पत्र	प्रदर्श क– 5 प्रदर्श क– 6
पी.डब्लू.5	डॉ. दीपाली जैन	चिकित्सीयकर्ता पीडिता	मेडीकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–7
पी.डब्लू.6	गुडडी	चक्षुदर्शी साक्षी	––	––
पी.डब्लू.7	S.I. अनीता देवी	बयान लेखक	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–8
पी.डब्लू.8	निरीक्षक शशि भूषण	विवेचक	1– वीडियो सी.डी. 2. घटनास्थल का नक्शा नजरी 3. आरोपपत्र	वस्तु प्रदर्श 1 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10
पी.डब्लू.9	महिला आरक्षी सरिता	चिक लेखक	1. FIR 2. G.D.	प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12
पी.डब्लू.10	भगवत	चक्षुदर्शी साक्षी	––	––

इसके अलावा अभियोजन द्वारा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन किये जाने पर अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुआ व समाप्त किया गया।

7. अभियुक्त का बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांकित 21.04.2026 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये कहा कि पी.डब्लू.1 वादिया मुकदमा के साक्ष्य के बारे में कहा है कि गलत है सखी ने षडयंत्र करके फंसाया है। मैं निर्दोष हूं। साक्षी पी.डब्लू.2 पीडिता X के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि गलत है सखी ने अपने षड़यंत्र में लेकर पीडिता से झूठा आरोप लगाया है जबकि पीडिता के अनुसार अहमदाबाद काम करने गया था वह एक माह बाद लौटा था घटना घटित करने का सवाल पैदा नहीं होता है। साक्षी पी.डब्लू.3 प्रधानाध्यपक के साक्ष्य के बारे में कहा है कि सम्पूर्ण रजिस्टर फर्जी है। साक्षी पी.डब्लू.4 डॉ० अनुराग यादव के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि गलत है। पी.डब्लू.5 डॉ० दीपाली जैन के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि फर्जी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की है। पी.डब्लू.6 श्रीमती गुडडी के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि गलत है सखी से साजिश की गयी है व फर्जी व मिथ्या कथन किये हैं। साक्षी पी.डब्लू.7 उपनिरीक्षक अनीता देवी के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि वादिनी मुकदमा से मिलकर षडंयत्र पूर्वक बयान दर्ज किये हैं। साक्षी पी.डब्लू.8 निरीक्षक शशि भूषण विवेचक के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि वादी मुकदमा से मिलकर गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर गलत विवेचना करके चार्जशीट भेजी गयी है जिसकी किसी स्वतंत्र साक्षी व लिखित साक्ष्य से संतुष्टि नहीं होती है। साक्षी पी.डब्लू.9

महिला आरक्षी सरिता FIR लेखक के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि उच्चधिकारियों के दबाव में फर्जी व गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। साक्षी पी.डब्लू.10 भगवत के साक्ष्य के बारे में कथन किया है कि गलत बयान दिये है। मैं मौके पर एक माह से अग्रिम समय से नहीं था। ना भगवत ललितपुर में था मां के दबाव में गलत व मिथ्या साक्ष्य दी है। अभियुक्त ने विशेष कथन किया है कि मुझे झूठा फंसाया गया है मेरी पत्नी ने मुझे रास्ते से हटाने के लिये झूठा फंसाया है। उक्त षडयंत्र में पीडिता X को सम्मिलित कर झूठा फंसाया है। मेरे द्वारा कोई अपराध घटित नहीं किया गया है। मेरी पत्नी चाहती थी। मैं कभी भी जेल से बाहर नहींआऊं और वह मर्जी से जीवन बीता सके। दिनांक 30.07.2026 को आरोपित अभियुक्त के पुनः बयान अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दर्ज किये गये, जिसमें आरोपित अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर FSL रिपोर्ट **प्रदर्श क–13** के बारे में कथन किया गया है कि परीक्षण रिपोर्ट गलत है। नमूना वर्ष 2023 का है। परीक्षण की दिनांक स्पष्ट नहीं की गयी है, जिससे रिपोर्ट संदिग्ध है। पुनः आरोपित अभियुक्त ने विशेष कथन में कथन किया है कि मैं पूर्णरूप से निर्दोष हूँ। मेरी पत्नी ने पुत्री को अनुचित दबाव में लेकर झूठी कहानी बतायी है, जिस समय की घटना बतायी जाती है। मैं ललितपुर में नहींथा। मेरी पत्नी अपने पहले पति से उत्पन्न लड़के को मेरी संपत्ति दिलाना चाहती है। मुझे रास्ते से हटाकर अन्य व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती है जिस कारण मुझे मेरी पत्नी द्वारा झूठा फंसाया गया है।

8. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से परिशीलन किया।

अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण की मुख्य परीक्षा।

09. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिये पी०डब्लू० 1 **वादिया मुकदमा सखी** को परीक्षित कराया गया जिसने अपनी **मुख्यपरीक्षा** दिनांकित 24.10.2024 कागज सं० 37क/1 में कथन किया है कि मेरे पहले पति का नाम धनीराम था। उनसे मुझे एक लड़का व एक लड़की हुई थी। लड़का बड़ा है, उसका नाम भगवत उर्फ भारसिंह, लड़की का नाम पूजा है। उन दोनों की शादी हो गयी है। मेरे पहले पति की मृत्यु हो जाने के कारण मैंने अपनी दूसरी शादी रामू सहरिया, निवासी महेशपुरा ललितपुर से की थी। रामू से मुझे तीन लड़की व दो लड़के हैं। बड़ी लड़की रूपवती, दूसरे नंबर पर काशीराम लड़का, तीसरे पर लड़का गोवर्धन, चौथे पर पीडिता X लड़की , पांचवे नंबर पर रानी है। पीडिता X की उम्र चौदह वर्ष है। सबसे छोटी लड़की 7–8 साल की है। पिछले साल नवरात्रि के समय मैं अपने चारों बच्चो को लेकर इन्दौर मजदूरी करने गयी थी। चौथे नंबर की लड़की X को अपने पति रामू के पास रोटी खाना पानी बनाने के लिये छोड़ गयी थी। मेरा पति रामू शराब पीने का आदी है। शराब पीने के लिये उसने अपने खेत व जायदाद बेच दिये हैं जिस कारण हम लोग मजदूरी करते हैं। जब हम लोग इन्दौर मजदूरी कर रहे थे तो 15–20 दिन

बाद मेरी लड़की X ने मेरे मुहल्ले के गजराज के फोन से फोन लगाकर मुझसे कहा कि मम्मी जल्दी घर आओ, पापा मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। गलत काम का मतलब बलात्कार कर रहे हैं। मैं चिल्लाती हूं तो मेरा मुंह दबा लेते हैं। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हैं कि किसी से कुछ भी बताया तो जान से मार देंगे। जब यह जानकारी मुझे मेरी लड़की से मिली तब मैं अपनी सबसे छोटी लड़की को लेकर सूचना मिलने के दो दिन बाद इन्दौर से ललितपुर आयी थी। जब मैं ललितपुर आयी तो मेरी लड़की ने मुझे बताया कि पापा शाम को छह बजे से गेट बन्द कर लेते हैं। पापा दारू पीकर आते हैं, मेरे कपड़े उतार देते हैं, मारते हैं, पटक देते हैं, जब मैं मना करती हूं तो मारते हैं, चिल्लाते हैं तो मुंह बन्द कर देते हैं और मेरे साथ बलात्कार करते हैं। दस दिन पहले से परेशान कर रहे थे। एक दिन छोड़ एक दिन गलत काम करता था। मैं अपनी लड़की X को लेकर थाने गयी थी। जहां मैंने एक तहरीर लिखवाकर अंगूठा निशानी लगाकर थाने पर दी थी, जिस पर मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पत्रावली पर पेपर सं० 5 क तहरीर साक्षी को दिखायी व पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी ने कहा कि मैंने यही तहरीर थाने पर दी थी, जिसकी मैं पहचान करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। थाने पर मेरे व मेरे लड़की के बयान हुये थे। मेरी लड़की की डॉक्टरी करायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम रामू को देखकर साक्षी ने कहा कि यही मेरा पति रामू है, इसी ने मेरी लड़की X के साथ घटना कारित की है।

10. पी०डब्लू० 2 **पीडिता X** द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा दिनांकित 24.12.2024 कागज सं० 38 क/1 में कथन किया गया है कि आज से लगभग एक साल दो–तीन माह पहले की बात है। ठण्डों की बात है। मेरी मम्मी और मेरे दोनो भाई और बहन काम करने के लिये इन्दौर गये हुए थे। मेरे पापा रामू ने मम्मी से कहा था कि पीडिता X को खाना बनाने के लिये छोड़ जाओ तो मेरी मम्मी मुझे पापा के पास घर पर छोड़ गयी थी। जब मम्मी व भाई बहन इन्दौर चले गये, तब मैं घर पर अपने पापा के पास ही रहती थी। एक दिन रात में मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी तो पापा भी अलग सो रहे थे, फिर पापा उठकर मेरे पास आ गये और बोले कि मेरे साथ सो जाओ और पापा मेरे बगल में लेट गये। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर कपड़े उतारे। मैं भागी तो उन्होने मेरी गर्दन दबा दी। मैं रोई और चिल्लायी तो उन्होंने मेरा मुंह दबाया। पापा ने मेरे सारे कपड़े निकालकर मेरे ऊपर लेट गये और मेरे पेशाब वाली जगह पर अपनी पेशाब का अंग डालकर बमक रहे थे और मेरे साथ गलत काम बलात्कार किया। ऐसा मेरे साथ लगभग एक महीने तक किया था। मना करने पर वह मेरे साथ मारपीट करते थे और किसी से भी मिलने नहीं देते थे। फिर एक दिन पापा खेत पर गये थे, फिर मैंने अपने साथ घटी सारी घटना भाभी गुड्डी को बतायी तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी मां को बता दो, तब मैंने अपने गांव के गजराम के फोन से अपनी मां को फोन लगाकर सारी बातें बतायी थी तब मेरी मां इन्दौर से लौटकर आयी थी और उनके साथ थाने गयी थी। जहां कार्यवाही हुई थी। थाने पर महिला पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके बयान लिये थे और पुलिस ने मेरी डॉक्टरी करायी थी। पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट साहब के पास भी लेकर आयी थी, जहां मेरे बयान हुये थे। न्यायालय के समक्ष एक सर्व सील

मुहर लिफाफा अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. संबंधित मु.अ.सं.972/2023, धारा 376(3), 323 भा.दं.सं. व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना कोतवाली, जिला ललितपुर खोला गया, जिसमें से अन्य प्रपत्रों के साथ बयान पीडिता X अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. मय फोटो एवं हस्ताक्षर एवं मय अंगूठा निशानी मां सखी के निकले, जिन्हें साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने यही बयान मजिस्ट्रेट साहब को दिये थे, इस पर मेरी फोटो लगी है व हस्ताक्षर है, इसकी मैं पहचान करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। रामू मेरा बाप नहींहै, अब वह मेरे लिये मर गया है, उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया है।

11. पी०डब्लू० 5 **डॉ० दीपाली जैन** द्वारा अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 01.04.2025 कागज संख्या 43 क में कथन किया गया है कि दिनांक 13.12.2023 को मैं जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर में ई.एम.ओ. ड्यूटी पर तैनात थी। उस दिन समय लगभग 01.38 पर पीडिता X पुत्री रामू निवासिनी ग्राम महेशपुरा, थाना कोतवाली ललितपुर को महिला कां.937 गायत्री मु.अ.सं.–972/2023 के संबंध में मेडिकल परीक्षण हेतु थाना कोतवाली से मेरे समक्ष लेकर आयी थी। मैंने पीडिता X की मेडिकल परीक्षण करने से पूर्व पीडिता X की मां से उसकी लिखित सहमति ली थी और उसकी लिखित सहमति पर उसका निशानी अंगूठा अंकित करवाया था। मैंने पीडिता के पहचान चिह्न अंकित किये थे और पहचान हेतु पीडिता X के सीधे हाथ का निशानी अंगूठा भी अंकित कराया था। पीडिता X के अनुसार उसके साथ घटी घटना दो दिन पूर्व होना बताया था। पीडिता द्वारा घटना के संबंध में, जो भी कथन किये थे मैंने उन्हें अंकित किया था तथा पीडिता को पढ़कर सुनाया था और उसकी मां का निशानी अंगूठा अंकित कराया था। पीडिता X के अनुसार उसके ऊपर दबाव था तथा उसे धमकी दी गयी थी। पीडिता के शरीर पर जाहिरा कोई चोट के निशान नहीं थे। पीडिता X द्वारा घटना के समय के कपड़े बदल लिये गये थे। पीडिता X का सामान्य परीक्षण में उसकी स्थिति सामान्य थी तथा जांच के दौरान उसके जननांग में दर्द था। पीडिता के आन्तरिक परीक्षण में भी कोई चोट के निशान नहीं थे। उसकी हाइमन ओल्ड हील्ड एंड टोर्न थी। मैंने डी.एन.ए. परीक्षण हेतु सेम्पल कलेक्ट किये थे जिन्हें मैंने महिला कां. गायत्री को सौंप दिये थे। मेरे द्वारा तैयार की गयी मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट एम.एल.सी. नंबर 78/2023 जो मेरे समक्ष पत्रावली में पेपर संख्या 23 क/1 लगायत 23 क/16 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी में पहचान करती हूं जिस पर प्रदर्श डाला गया। मैंने पीडिता X की एक्सरे रिफर स्लिप तैयार की थी।

12. पी०डब्लू० 6 **गुडडी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 09.05.2025 कागज संख्या 44 क में कथन किया है कि आज से लगभग एक साल चार पांच महीने पहले दीपावली से दस पंद्रह दिन बाद की बात है। मेरी ननद X जिसकी उम्र लगभग बारह तेरह साल है ने मुझे आकर बताया था कि मेरे ससुर रामू ने X के साथ गलत काम बलात्कार किया है जब से मेरी सास मजदूरी करने इन्दौर गयी है तब से वह X के साथ गलत काम बलात्कार कर रहा है। मैंने X से कहा था तुम मुझे मत बताओ अपनी

मां को बताओ। तब X ने मेरी सास सखी को फोन पर सारी घटना बतायी थी। तब मेरी सास गांव आयी थी और X को रिपोर्ट के लिये थाने लिवाकर ले गयी थी और थाने कार्यवाही की थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी, मैंने उन्हें भी सारी बातें बता दी थी। मेरे पति का नाम भगवत है। वह मेरी सास के पहले पति धनीराम के लड़के हैं और मेरी एक ननद भी है जिसकी नाम हसमुखी है। मेरी सास ने जब रामू से शादी की थी तो उनसे तीन लड़की व दो लड़के पैदा हुये थे। लड़का काशीराम, गोवर्धन, लड़कियां रूपवती, पीडिता X और रानी है। मेरी सास दशहरा के बाद मजदूरी करने बाकी बच्चो को लेकर इन्दौर चली गयी थी और पीडिता X को रामू के पास छोड़ गयी थी।

13. पी०डब्लू० 7 **एस०आई० अनीता देवी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 04.06.2025 कागज संख्या 45 क में कथन किया है कि दिनांक 13.12.2023 को मैं थाना कोतवाली ललितपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थी। उस दिन पीडिता X पुत्री रामू सहरिया आयु लगभग चौदह संबंधित अपराध वर्ष निवासिनी ग्राम महेशपुरा, थाना कोतवाली जनपद ललितपुर संबंधित संख्या 972/2023 धारा 376 (3), 323 भा.दं.सं. व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना कोतवाली जनपद ललितपुर का बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. पीडिता X के कथनानुसार अंकित किये थे। पीडिता X द्वारा जो भी कथन किये गये थे उन्हें मैंने शब्द ब शब्द अंकित किया था। अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा अथवा घटाया नहीं था। मैंने पीडिता को उसका सम्पूर्ण बयान अंकित करने के बाद पढ़कर सुनाया था। मेरे द्वारा अंकित किया गया बयान पत्रावली में पेपर संख्या 9 क है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान करती हूं, जिस पर प्रदर्श डाला गया। मैंने पीडिता X के बयान अंकित करते समय उसके बयानो की वीडियो सी.डी. भी तैयार की थी जिसे मैंने थाना प्रभारी को सौंप दिया था।

14. पी०डब्लू० 8 **निरीक्षक शशि भूषण, विवेचक** द्वारा अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 28.07.2025 कागज संख्या 46 क में कथन किया गया है कि दिनांक 13.12.2023 को मैं थाना कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 972/2023 अन्तर्गत धारा 373(3), 232 भा० द० सं० एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट विरूद्ध अभियुक्त रामू पुत्र प्यारे लाल, निवासी महेशपुरा, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर की विवेचना ग्रहण की गयी जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक अंकित किये थे एवं पीडिता X पुत्र रामू सहरिया का बयान महिला उपनिरीक्षक अनीता देवी द्वारा अंकित किया गया था। पीडिता X के बयान का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। पीडिता X के बयानो की वीडियो सी.डी. को एक सफेद कपड़े में रखकर सर्व सील मुहर कर संलग्न किया था। वीडियो सी.डी. पत्रावली पर पेपर संख्या 27 क है जिस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। तत्पश्चात बयान वादिनी श्रीमती सखी का अंकित किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक जनार्दन यादव, महिला उपनिरीक्षक अनीता यादव व कांस्टेबल शरद कुमार मय जीप सरकारी दबिश देकर समय करीब

02.50 ए.एम. पर अम्बेडकर तिराहा, नेहरू नगर के पास से गिरफ्तार किया गया था। जिसका दाखिला रपट नंबर 7 समय 03.39 बजे दिनांक 13.12.2023 पर किया गया था। पीडिता X को बयान धारा 164 द.प्र.सं कराने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पीडिता X के बयान धारा 164 द.प्र.सं. के अंकित होने के उपरान्त उनका अवलोकन कर सी.डी. में अंकन किया गया एवं पीडिता X का मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन कर सी.डी. में अंकन किया गया। वादिनी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं नक्शा नजरी तैयार किया गया जो पत्रावली पर पेपर संख्या 8 क है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादिनी, बयान गवाहान, बयान पीडिता बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 जा० फौ०, निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट व संकलित अन्य सुसंगत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त रामू पुत्र प्यारेलाल के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 376(3), 506 IPC व 3/4 POCSO ACT का बखूबी साबित पाये जाने पर अभियुक्त का चालान आरोप पत्र सं०–848/2023 न्यायलय प्रेषित किया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहचान करता हूँ जो पत्रावली पर पेपर सं० 3 क/1 लगायत 3 क/5 है जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया।

15. पी०डब्लू० 9 महिला कॉ० सरिता **FIR लेखक** द्वारा अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 16.10.2025 कागज संख्या 47क में कथन किया गया है कि दिनांक 13.12.2023 को मैं थाना कोतवाली पर CONSTABLE के पद पर तैनात थी। मेरी ड्यूटी उस दिन कार्यलेख पर थी। उसी दिन वादिनी मुकदमा सखी पत्नी रामू निवासी महेशपुरा थाना कोतवाली, ललितपुर एक टाईपशुदा तहरीर लेकर, थाने पर उपस्थित आई थी, जिस पर प्रभारी निरीक्षक के लिखित आदेश पर, मैंने रामू सहरिया पुत्र प्यारेलाल निवासी महेशपुरा, थाना कोतवाली ललितपुर के विरूद्ध मु.अ.सं.–972/2023 अन्तर्गत धारा 376 (3), 323 I.P.C. & 3/4 POSCO ACT पंजीकृत किया था। मेरे द्वारा पंजीकृत एफ.आई.आर. पत्रावली में पेपर सं० 4 क/1 लगायत 4 क/3 है, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पहचान करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। उक्त एफ.आई.आर. का खुलासा, मैंने जी.डी. नंबर–04 दिनांक 13.12.2023 समय 00.12 बजे किया था। पत्रावली में G.D. पेपर सं० 7 क है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पहचान करती हूं, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

16. पी०डब्लू० 10 **भगवत पुत्र रामू सहरिया** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** दिनांकित 23.03.2026 कागज संख्या 48क में कथन किया है कि आज से लगभग सवा दो साल 03–04 महीने पहले की बात है मेरी पत्नी गुड्डी ने मुझे बताया था कि मेरे सौतेले पिता रामू लगभग एक महीने से मेरी छोटी बहन X के साथ गलत काम मतलब बालात्कार कर रहे हैं। उस समय मेरी माँ मजदूरी करने बाहर गयी थी। माँ के साथ मेरे और भाई बहन भी गये थे। केवल मेरी बहन X ही पिता जी के लिए खाना बनाने के

लिए घर पर रुकी थी। मेरी माँ का नाम सखी है। मेरे पिता का नाम धनीराम है जिनका निधन हो जाने के कारण मेरी माँ ने रामू से शादी की थी। पीडिता X रामू की सगी लडकी है।

उभय पक्ष की बहस।

17. राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि पीड़िता के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 09.01.2010 है जिसके अनुसार घटना दिनांक 13.12.2025 को पीड़िता की आयु लगभग 13 वर्ष 11 माह 04 दिन स्थापित होती है। इस प्रकार यह साबित होता है कि घटना दिनांक व समय को पीड़िता की आयु 16 वर्ष से कम थी और वह पाक्सो अधिनियम के तहत बालक की श्रेणी में आती है। पाक्सो एक्ट की धारा 29 यह प्राविधानित करती है कि यदि अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ कर दिया गया है तो न्यायालय अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा करेगा और अपनी निर्दोषता को साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगणों ने अपने साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित किया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों के लिए दोषसिद्ध करते हुये दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

18. बचाव पक्ष की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पीडिता X सहित तथ्य के अन्य साक्षीगण के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का पूर्ण रूपेण समर्थन नहीं हो रहा है। पत्रावली पर ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जिससे यह सन्देह से परे साबित होता हो कि उक्त अभिकथित अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया है। अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी द्वारा अभियुक्त के घटना में संलिपत्ता के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साक्षीगणों के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। साक्षी पीडिता X ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं होता है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्थापित होता हो कि अभियुक्त द्वारा पीडिता X के साथ कोई घटना कारित की गयी है। अतः अभियुक्त द्वारा उस पर लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

19. दं०प्र०सं० की धारा 354(1)के अनुसार वर्तमान प्रकरण के संबध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। अतः विनिश्चित किये जाते हैं।

(i) क्या पीडिता X घटना की तिथि पर अवयस्क थी ?

(ii) क्या अभियुक्त रामू द्वारा दिनांक 13.12.2023 को वादिया मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीडिता X के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार करते हुये प्रवेशन लैंगिक प्रहार की श्रेणी में आने वाला अपराध कारित किया गया है?

(iii) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

(iv) क्या अभियुक्त अपनी निर्दोषता को साबित करने में सफल रहा है?

20. **<u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या i</u>**

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (i) इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या पीडिता X घटना की तिथि पर अवयस्क थी?

21. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 13.12.2023 की बतायी गयी है। अतः घटना तिथि को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रभावी है। अतः बालकों के आयु का निर्धारण धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार होगा। धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यह प्राविधानित किया गया है कि यदि समिति या बोर्ड के पास इसके बारे में सन्देह करने के लिये उपयुक्त आधार हो कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं तब यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य की माँग करते हुये उसकी आयु के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेगा। (।) विद्यालय से जन्म प्रमाणपत्र या सम्बद्व परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो की तारीख और उसके अभाव में, (।।) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी के द्वारा या पंचायत के द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र, (।।।)और केवल उपरोक्त (।) और (।।) के अभाव में उसकी आयु का निर्धारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किये गये अस्थि परीक्षण या किये गये किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार पीडिता **X** के घटना की तिथि पर उसकी आयु निर्धारण हेतु सर्वप्रथम उसके शैक्षणिक अभिलेखों को देखा जाना है।

22. इस संबंध में अभियोजन की तरफ से घटना के समय पीडिता X की आयु निर्धारण हेतु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.3 श्रीमती माधवी द्वारा पीडिता X की जन्मतिथि के संबंध में अपनी **मुख्यपरीक्षा** में कथन किया गया है कि आज मैं अपने विद्यालय की छात्रा X पुत्री रामू माता का नाम श्रीमती सखी निवासिनी ग्राम महेशपुरा की जन्मतिथि के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अपने विद्यालय के मूल अभिलेखों के साथ न्यायालय उपस्थित आयी हूं। छात्रा ने हमारे विद्यालय में दिनांक 16.07.2020 को कक्षा छह में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय छात्रा द्वारा अपने पूर्व विद्यालय प्राथमिक विद्यालय महेशपुरा की कक्षा पांच पास की टी.सी., जिसका क्रमांक 55 है, विद्यालय में जमा की थी जिसमें छात्रा की जन्मतिथि 09.01.2010 अंकित थी। उक्त टी. सी. के आधार पर छात्रा को विद्यालय में प्रवेश दिया गया था। छात्रा हमारे विद्यालय में कक्षा आठवीं तक अध्ययनरत् रही है एवं कक्षा आठ विद्यालय से उत्तीर्ण की थी। विद्यालय के एस. आर. रजिस्टर के क्रमांक संख्या

767 पर छात्रा का विवरण अंकित है जिसमें भी उसकी जन्मतिथि 09.01.2010 अंकित है। उक्त प्रपत्रों की छायाप्रतियां, जो मेरे हस्ताक्षर व विद्यालय की मुहर द्वारा प्रमाणित है पत्रावली में पेश कर रही हूं जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4** डाले गये। अतः मेरे विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार छात्रा की जन्मतिथि 09.01.2010 है। छात्रा विद्यालय से कक्षा आठ पास की टी.सी. नहीं ले गयी है।

23. इसी साक्षी ने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी **जिरह** में कथन किया गया है कि दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे किस तारीख को लिये थे याद नहींहै। दरोगा जी ने मेरे विद्यालय के रिकार्ड का अवलोकन किया था। उनके पास बी.एस.ए.की परमीशन थी या नहीं मैं नहीं बता सकती हूं। मुझसे विद्यालय में आने की परमीशन ली थी। छात्रा ने हमारे विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश लिया था। मेरा विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। दरोगा जी ने मात्र मुझसे मौखिक पूछताछ की थी। छात्रा ने वर्ष 2022 में विद्यालय छोड दिया था। छात्रा कक्षा आठ में पास हो गयी थी। मेरा स्कूल कक्षा आठवीं तक है। प्रवेश रजिस्टर को किसी उच्चाधिकारी से सीन नहींकराया गया है क्योंकि मेरे कार्यकाल में किसी उच्चाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा जो रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है वह फर्जी है।

24. **पी0 डब्लू0 4 डॉ० अनुराग यादव रेडियोलॉजिस्ट** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 10.02.2025 कागज संख्या 42 क में कथन किया गया है कि मैं दिनांक 14.12.2023 को जिला चिकित्सालय ललितपुर में रेडियोलाजिस्ट के रूप में कार्यरत था। उस दिन पीडिता X पुत्री रामू सहरिया, निवासी महेशपुरा नेहरूनगर, थाना कोतवाली को सी.एम.ओ. ललितपुर ने मेरे पास आयु निर्धारण हेतु एक्सरे कराने के लिये भेजा था। पीडिता X को महिला कां. गायत्री दिनकर मेरे समक्ष लेकर आयी थी। मैंने पीडिता X का पहचान चिह्न अंकित करने के बाद अपनी देखरेख में एक्सरे करवाया और प्लेट तैयार करवायी। एक्सरे प्लेट के आधार पर मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसमें मैंने पाया कि पीडिता X की कोहनी की एपिफाइसिस नहीं फ्यूज थी, दोनो घुटने की एपिफाइसिस भी नहीं फ्यूज थी। इलियनक्रस्ट भी नहीं फ्यूज था। मेरे द्वारा तैयार की गयी एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली में पेपर सं० 25 क है जो मेरे हस्तलेख में है तथा जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं पहचान करता हूं जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पीडिता X की सी.एम.ओ. ललितपुर द्वारा आयु निर्धारण हेतु गठित बोर्ड का भी मैं सदस्य रहा हूं, बोर्ड द्वारा मेरे द्वारा तैयार की गयी एक्सरे रिपोर्ट, पीडिता X की शारीरिक संरचना व बाह्य आकृति के आधार पर आयु लगभग तेरह वर्ष निर्धारित की गयी थी। सी.एम.ओ. द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र पत्रावली में पेपर सं० 24 क है जिस पर सी.एम.ओ. ललितपुर एवं बोर्ड के अन्य सदस्यो के साथ मेरे भी हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान करता हूं जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

25. इसी साक्षी ने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** करने पर कथन किया गया है कि उपरोक्त विवरण मैंने एक आदर्श बॉडी के आधार पर बताया है। रोग या खाने पीने से एपिफाइसिस के फ्यूजन पर कोई फर्क नहींपड़ता है। बोर्ड के गठन के संबंध में छपा हुआ प्रोफार्मा होता है उसको फिल इन द ब्लेंक्स किया जाता है। X ने अपनी पहचान के संबंध में कोई कागजात नहीं दिये थे महिला कां. द्वारा आदेश लाया गया था। पीडिता X के पहचान चिह्न एक्सरे रिपोर्ट में ABM present on right mandibular region 2 cm away from right angle of mouth लिखा है जबकि बोर्ड फार्म में लिखा है one black mole present on the right cheek which is 2 cm below right angle of mouth. यह कहना गलत है कि मैंने प्रशासन के दबाव में गलत रिपोर्ट प्रेषित की। यह कहना भी गलत है कि मैंने X की जगह भिन्न लड़की का मुआयना कर यह रिपोर्ट प्रेषित की है, जिनमें भिन्न–भिन्न पहचान चिह्न लिखे गये हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर द्वारा पीडिता X की आयु निर्धारण में गठित बोर्ड की आख्या कागज सं० 24क, जोकि संलग्न पत्रावली है, को डॉ० अनुराग यादव रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय ललितपुर बतौर पी.डब्लू.4 साबित किया है, के अवलोकन से विदित होता है कि पीडिता X की शारीरिक संरचना व बाह्य आकृति डॉ० अनुराग यादव रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय ललितपुर द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट एवं फिल्म के अनुसार पीडिता X की आयु लगभग 13 वर्ष निर्धारित की गयी है।

प्रधानाचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय महेशपुरा ब्लॉक जखौरा जिला ललितपुर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कागज सं० 17–क के अनुसार पीडिता X की जन्मतिथि 09.10.2010 है तथा घटना की तिथि 13.12.2023 है। इस प्रकार शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीडिता की आयु 13 वर्ष, 02 माह व 04 दिन स्थापित होती है। पाक्सो अधिनियम के अपराध के लिये पीडिता **X** का घटना के समय 16 वर्ष से कम होना साबित होता है। इस प्रकार अभियोजन विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (i) को अभियोजन के पक्ष में सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है।

26. <u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (ii)</u>

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (ii) इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त रामू द्वारा दिनांक 13.12.2023 को वादिया मुकदमा की अवयस्क पुत्री पीडिता X के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार करते हुये पीडिता X के साथ प्रवेशन लैंगिक प्रहार की श्रेणी में आने वाला अपराध कारित किया गया है?

27. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त रामू पर धारा 376(3) व 506 भा०दं०सं० एवं धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के दण्ड से दण्डनीय अपराध के आरोप का विचारण किया जा रहा है।

28. उल्लेखनीय है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा बनाये गये आरोप में धारा 376(3) व 506 भा०दं०सं० एवं धारा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अंकित है परंतु प्रस्तुत प्रकरण में पीडिता X सोलह वर्ष से कम आयु की बालिका है। अतः इस प्रकरण में धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू नहीं होगी बल्कि इसके स्थान पर धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू होगी। इन परिस्थितियों में संबंधित धाराओं की विधि को देखा जाना अति आवश्यक है।

29. **धारा 376(3) भा०दं०सं०** यह प्रतिपादित करती है कि जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

30. **धारा 506(2) भा०दं०सं०** यह प्रतिपादित करती है कि **आपराधिक अभित्रास के लिये दण्ड–** जो कोई आपराधिक अभित्रास कर अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। **यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो–** तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर अस्तित्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। **उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन–** सात वर्ष का कारावास, या जुर्माना या दोनों– संज्ञेय– अजमानतीय–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय– अशमनीय।

31. **धारा 4(2) पाक्सो एक्ट** यह प्रतिपादित करती है कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दंड जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

32. विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (i) के निस्तारण के परिणामस्वरूप यह तथ्य साबित हो चुका है कि पीडिता X घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की बालिका थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित हुये साक्षीगण की साक्ष्य की विश्वसनीयता को परखने के लिये उनके द्वारा जिरह में दिये गये उत्तर की समीक्षा किया जाना समीचीन होगा। अतः अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये सभी साक्षीगण की जिरह का परिशीलन गहनतापूर्वक किया गया।

33. पी०डब्लू० 1 **सखी वादिया मुकदमा, जोकि पीडिता X की माँ** है, से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया गया है कि मैं

पिछले साल नवदुर्गा के समय इन्दौर गयी थी, इसका मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। मैं इससे पहले कभी भी मजदूरी करने इन्दौर अथवा और कही नहीं गयी। इन्दौर में मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। मैं पढी लिखी नहीं हूं। मैंने जो तहरीर दी थी, वह चौकी पर टाइप करायी थी। चौकी के बगल में दुकान रखी है, वहां से प्रार्थना पत्र टाइप कराया था। नेहरूनगर चौकी ब्रिज के नीचे दुकान है। राजपूत की दुकान से टाइप कराया था, नाम नहीं मालूम है। दरोगा जी मेरे साथ थे। मेरा सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है, मैं नहीं बता सकती। भगवत मेरे साथ इन्दौर नहीं गया था। पीडिता X की भगवत से कोई बुराई नहींहै। पीडिता X का भगवत के यहां आना जाना है। अगर भगवत की उम्र पैतीस वर्ष हो तो मैं नहींबता सकती हूं। भगवत की पत्नी का नाम गुड्डी है। गुड्डी रोटी आदि बना लेती है। गुड्डी से मेरी कोई बुराई नहीं है जिस सम्पत्ति पर भगवत निवास करता है, वह सम्पत्ति रामू की है। मैं भगवत को दस साल का लायी थी। भगवत के पिता की मृत्यु कितने वर्ष पहले हुई, मुझे नहीं पता। मेरे घर के पीछे कल्लू का मकान है। मेरे घर से लगा हुआ भग्गे का मकान है, भग्गे के मकान से लगा हुआ भगवत का मकान है। भग्गे व भगवत से मेरी कोई बुराई नहीं है। मेरी गली में लगे हुये 10–15 मकान है। रामू के पास इन मकानों के अलावा और कोई सम्पत्ति नहीं है। रामू मुझे मारता पीटता था, लेट्रीन नहीं जाने देता था, मुझे खाने पीने के लिये परेशान करता था। दारू पीकर मार पीट करता था। रामू मुझे साल दो साल से परेशान करता था। रामू मुझे परेशान करता था, इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। मैं मुंगावली व आस पास के गांव में कटाई के लिये जाती रहती हूं। मेरी दूसरी लड़की कितने साल की है, मुझे नहीं पता। तीसरी लड़की कितने साल की है, नहीं बता सकती हूं, चौथा लड़का है, वह सोलह वर्ष का है। चौथा लड़का पढ़ा लिखा नहीं है। यह पीडिता X से बड़ा है। पीडिता X कक्षा पांच तक स्कूल गयी है। पीडिता X ने मेरे अलावा किसी ओर को घटना बतायी थी या नहीं, मैं नहीं बता सकती हूं। रामू को कौन कौन दारू पिलाता था, मैं नहीं बता सकती हूं। पीडिता X ने मुझे कोई चोटे नहीं बतायी थी, न ही मैंने देखा था कि पीडिता X को कोई चोटे हैं या नहीं। किस तारीख को मेरे पास फोन आया, मैं नहीं बता सकती हूं। किस तारीख की घटना पीडिता X ने बतायी थी, मैं नहीं बता सकती हूं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मैंने तारीख नहीं बतायी थी। पीडिता X किसी के साथ घूमने नहीं जाती थी। मेरी रामू से फोन पर कभी बात नहीं हुई। मैंने गुड्डी से कोई घटना नहीं पूछी थी। गुड्डी का मैं मोबाइल नंबर नहीं बता सकती हूं। गुड्डी ने मुझे कभी फोन नहीं किया, न ही गुड्डी के फोन से मुझे फोन आया। पीडिता X ने गजराज के फोन से मुझे फोन किया था। गजराज मेरे मुहल्ले के है। इनका घर मेरे घर से पचास मीटर दूर है। यदि मैंने यह बात अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखी हो, तो मैं इसका कारण नहीं बता सकती हूं। मैं अस्पताल किस तारीख को पहुंची हूं, नहीं बता सकती हूं। अस्पताल में डॉक्टर साहब मिले थे, डाक्टरनी थी, बॉटल मंगायी थी, जांच हुई थी, बाल, नाखून, खून का, पेशाब का व अन्दर का सेम्पल लिया था। डॉक्टरनी ने मुझसे खाली कागजातो पर दस्तखत कराये थे।

यह बात सही है कि मैंने कोई घटना घटित होते नहीं देखी, जो लड़की ने बतायी है, उसी के आधार पर बयान दे रही हूं। लड़की ने मुझे सही बताया या गलत, मैं नहीं बता सकती हूं। जब मेरी पुत्री X को अस्पताल ले गये थे तो वह सफेद कलर की शर्ट व जींस का पुराना पेन्ट पहने थी। जिस कपड़ो में घटना घटित हुई थी, वह पुलिस ले गयी थी। घर के कपड़े पुलिस लेकर आयी थी। ऐसा नहीं है कि कपड़े अस्पताल में डॉक्टर ने लिये हो। महिला व पुरूष पुलिस दोनो गये थे, परन्तु पुरूष पुलिस ने कपड़े लिये थे। पुलिस वाले का नाम नहीं बता सकती हूं। कपड़े धुले हो या न धुले हो, मैं नहीं बता सकती हूं। लड़की का आठ में नाम लिखा गया था परन्तु पढ़ने नहीं जाने दिया गया था। यह कहना गलत है कि मैं रामू से अत्यधिक परेशान होने के कारण फर्जी कहानी गठित की और मैंने अपनी लड़की को उसके पिता के प्रति भड़काया और यह फर्जी रिपोर्ट लड़की से पिता के नाम लेख करायी। यह कहना भी गलत है कि मैं कभी भी मजदूरी करने के लिये इन्दौर नहीं गयी। यह कहना भी गलत है कि मैंने इन्दौर जाने की फर्जी बात बतायी। यह कहना सही है कि मेरे पास इन्दौर आने जाने की टिकट नहीं है। यह कहना गलत है कि मैं अपने पहले पति के लड़के भगवत को रामू की जायदाद दिलाना चाहती हूं और रामू और भगवत में लड़ाई होती थी, इस कारण रामू के खिलाफ फर्जी षडयंत्र रचा है। यह कहना सही है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाये तो इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। इस साक्षी से की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिसके आधार पर घटनाक्रम के संबंध में इस साक्षी द्वारा कहे गये कथनों पर भरोसा न किये जा सके।

34. पी0 डब्लू0 2 **पीडिता X** से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि भागसिंह मेरा भाई है। भागसिंह के पास कोई भी मोबाइल नहीं है। गुड्डी के पास भी कोई मोबाइल नहीं है। गजराम मेरे गांव के भईया है। गजराम का मुझे मोबाइल नंबर नहीं मालूम है। मैं स्कूल सुबह दस बजे से तीन बजे तक जाती थी। स्कूल में बहुत सारे बच्चे मिलते थे। गजराम मुझे रोज नहीं मिलते थे, केवल एक दिन फोन लगवाया था। गजराम को मैंने अपनी मां का मोबाइल नंबर बता दिया था, फिर कहा मम्मी का फोन आया था कि बात कर लेना, फिर फोन लगाया था। गजराम के पास मेरी मां का कितनी बार फोन आया, मुझे नहीं पता। गजराम के पिता का नाम भूरा है। भगवत सिंह उर्फ भानसिंह को मैंने घटना के संबंध में कभी नहीं बताया। भगवत सिंह उर्फ भानसिंह से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। गुड्डी खाना बना लेती है। जब मैं डॉक्टर के पास गयी तो मुझे कोई चोटें नहीं थी। केवल पीठ में दर्द था, जिसे मैंने डॉक्टर को बता दिया था। डॉक्टर ने उक्त चोट लिखी अथवा नहीं, मुझे नहीं पता। जिन कपड़ो में मेरे साथ तथाकथित रूप से गलत काम हुआ, उन कपड़ो को मैं धो चुकी थी। जो कपड़े पुलिस मेरे पास से ले गयी थी वह कपड़े नीले रंग के थे। मेरी बड़ी बहन का नाम हसमुखी है। हसमुखी मातागढ़ में रहती है, वह कितने साल की है, मुझे

पता नहीं है। वह सिर्फ भानसिंह से छोटी है, बाकी हम सभी से बड़ी है। वह मुझसे कितने साल बड़ी है, नहीं पता। मेरे पिता भी काम पर जाते थे। एक साल दो तीन माह पहले वह काम पर अहमदाबाद गये थे। वह एक महीना में वापस लौटे थे। मेरे माता व पिता की लड़ाई नहीं होती थी। मुझे नहीं पता। मेरे पिता, मेरी मां को लेट्रीन जाने में परेशान करते थे। मेरी मां ऐसा नहीं कहती थी कि मेरे पिता मर जाये तो अच्छा है। मेरी मां ने आज मुझे कुछ नहीं समझाया था, मैं खुद ही समझी हूं। मैंने अपनी भाभी गुड्डी को घटना बतायी थी, किस तारीख को बतायी थी, तारीख नहीं बता सकती हूं। मैंने मां को भी घटना की तारीख नहीं बतायी थी। यदि मेरी मां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई तारीख लिख दी हो तो मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने तारीख कैसे लिख दी। हम लोग अपने पिता जी के व्यवहार से काफी दुखी थे, वह शराब पीकर आते थे, मारपीट करते थे। मेरे पिता जी मुझे घर से बाहर जाने नहीं देते थे। वह मुझे मना करते थे। मुझे अपनी मां के पहले पति का नाम नहीं मालूम। भगवत व गुड्डी मेरे पिता से जायदाद के लिये नहीं लड़ते थे। मुझे यह पता है कि भगवत मेरे सौतेले भैय्या है। भगवत मेरे घर से लगभग सौ मीटर से अधिक दूरी पर रहते है। मेरा मकान सौ मीटर से अधिक एरिया में नहीं है। भगवत का मकान मेरे मकान के सामने है और मैं अक्सर भगवत के यहां जाती रहती थी। मेरे घर के आस–पास घनी बस्ती है। मैं तीसरे नंबर की हूं, मुझसे बड़ी रूपवती है। रूपवती मुझसे कितनी बड़ी है, मुझे नहीं पता। रूपवती ने कभी भी मेरे पिता पर आरोप नहीं लगाया। रूपवती से रामू ने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की। दिशा मैदान मैं व गुड्डी वगैरह सभी साथ जाते थे फिर कहा कि लेट्रीन घर में ही है, रात में गुड्डी के साथ जाती थी। इस दौरान मैंने गुड्डी को सिर्फ एक बार ही बात बतायी थी, उसके पहले व बाद में बात नहीं बतायी थी। फोन पर घटना मैंने बतायी थी, गुड्डी ने नहीं बतायी थी। ऐसा नहीं है कि मैं भूल रही हूं कि घटना गुड्डी ने बतायी थी। मजिस्ट्रेट साहब को, जो मैंने बयान दिये थे, वह सही दिये थे। मजिस्ट्रेट साहब को मैंने यह बताया था कि "भाभी ने दूसरे नंबर से मम्मी को बताया था", यह गलत लिखा है मैंने बताया था। रिपोर्ट लिखाने के कितने दिन बाद मेरे पिता जी घर पर आये, मैं नहीं बता सकती हूं। डॉक्टर ने मेरे नाखून, बाल, खून व पेशाब का सैम्पल लिये थे। उस समय हॉस्पिटल में मेरी मम्मी व पुलिस वाले मौजूद थे। घटना के कितने दिन बाद मैं अस्पताल गयी थी, याद नहीं है। आज छह तारीख है। मेरे पिता जी ने तीस हजार रूपये लेकर इन्दौर मजदूरी के लिये भेजा था, वह पैसे किससे लिये थे, मुझे नहीं मालूम। मेरी और बहनें भी रोटी बनाना जानती थी। मेरे पिता को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया था, मुझे जानकारी नहीं है। घटना घटित होने के कितने दिन बाद मेरे पिता जी मुझे मिले, पता नहीं है। पुलिस मुझे घटना स्थल पर नहीं ले गयी थी। यह कहना गलत है कि मेरी मम्मी, पिता जी से बहुत परेशान थी, जिस कारण जैसा मेरी मम्मी ने कहा, मैंने रिपोर्ट लिखा दी। यह कहना गलत है कि मैं जहां चाहे चली जाती थी, जिस कारण पिता जी मना करते थे, जिस कारण से मैंने झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह कहना गलत है कि मेरी मां सम्पत्ति भगवत व गुड्डी को देना चाहती थी और पिता जी अपने जीवनकाल में देने से मना

करते थे, जिस कारण मम्मी ने साजिश रचकर मुझसे झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी। यह कहना गलत है कि मुझे शरीर पर कोई चोटें नहीं थी। यह कहना गलत है कि मेरे पिता ने मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं किया।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाये तो इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। इस साक्षी से की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जिसके आधार पर घटनाक्रम के संबंध में इस साक्षी द्वारा कहे गये कथनों पर भरोसा न किये जा सके।

35. पी0 डब्लू0 5 **डॉ० दीपाली जैन से** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि जिस समय पीडिता का परीक्षण किया गया उस समय उसका बी.पी. सामान्य था, पल्स भी सामान्य थी। मैंने पीडिता X से यह नहीं पूछा था कि उसकी हाइमन रपचर कब हुई थी। पत्रावली में मौजूद पेपर संख्या 23 क/8 के अनुसार पीडिता को कोई इंजरी नहीं थी। लीविया Majora पर भी कोई इंजरी नहीं थी और न ही किसी प्रकार की कोई सूजन थी। डी.एन.ए. सेम्पल 01.50 बजे लिये थे। डी.एन.ए. सेम्पल लेने के बाद उसे महिला कां. गायत्री दिनकर को कितने बजे सौंपा था समय नहीं लिखा है, परीक्षण करने के दस पंद्रह मिनट बाद सौंप दिया था। मैंने धारा 161 द.प्र.सं. में दस पंद्रह मिनट बाद सौंपने वाली बात विवेचक को नहीं बतायी थी। जब मैं किसी मरीज का परीक्षण करने जाती हूं तो मुझे डी.एन.ए. सेम्पल किट परीक्षण के समय ही उपलब्ध करा दी जाती है। प्रश्न– डी.एन.ए. किट सही स्थिति में उपलब्ध थी ये आपने किस परीक्षण से पता लगाया। उत्तर– ये मैंने आंखो से देख कर पता लगाया। डी.एन.ए. किट किस तारीख को मेनुफेक्चिरिंग की गयी तथा मैंने किस तारीख को उपयोग की इसके संबंध में मैंने अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। डी.एन.ए. कितने समय में एक्सपायर हो जाती है मुझे पता नहीं है। यह बात सही है कि जिस समय पीडिता मेरे पास आयी उसके कपड़े धुल चुके थे। मेरी ड्यूटी उस दिन सुबह आठ बजे से अगले दिन सुबह आठ बजे तक थी। मेडिको लीगल करने के लिये मुझे सी.एम.एस. द्वारा अधिकृत किया गया था इसका अधिकृत पत्र मेरे पास है, परन्तु आज मैं उसे नहीं लायी हूं। चूंकि उस दिन मेरे कार्यकाल की यह पहली एम.एल.सी. थी इसलिये मुझे मार्गदर्शन के लिये डॉक्टर आशु बजाज को रखा गया था। यह सही है कि पेपर संख्या 23 क/2 पर लगे अंगूठा निशानी पर यह अंकित नहीं है कि ये अंगूठा निशानी किसके है। पी.एस. एंड पी.वी. एग्जामिनेशन मेरे द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि गैर शादीशुदा व अठारह वर्ष से कम लड़की की इसके लिये अनुमति नहीं है। नार्मल पेशेंट को पेन नहीं था लेकिन जेनेटाइल एग्जामिनेशन के दौरान पेन था। पैरा 18 में लोकल एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटिल पार्ट ऑफ अदर्स में कोई भी इंजरी नहीं पायी गयी। जेनाइटिल में वैजाइनल में दर्द था। मैंने अपनी रिपोर्ट में जितनी फाइन्डिंग आयी है वह लिखी है। मैंने अपनी रिपोर्ट में यह लेख किया है कि फाईनल ओपिनियन एफ.एस.एल. रिपोर्ट के द्वारा ही दी जा सकती है। मैंने लिफाफो में जिला चिकित्सालय की सील लगायी थी। पत्रावली में सील नमूना उपलब्ध नहीं है।

सील नमूना पर क्या लिखा गया था मुझे जानकारी नहीं है। साक्षी को धारा 161 द.प्र.सं. के सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया जिसमें यह लिखा है कि "दिनांक 13.12.2023 को मैं अपनी ड्यूटी पर जिला महिला चिकित्सालय ललितपुर में मौजूद थी तभी म.का. गायत्री दिनकर डॉक्टरी प्रपत्र लेकर पीडिता X की डॉक्टरी करवाने हेतु पीड़िती की मां श्रीमती सखी के साथ उपस्थित हुई थी। मेरे तथा डॉ० आशु बजाज के द्वारा पीडिता कु० X का डॉक्टरी परीक्षण किया गया था तथा डी.एन.ए. सैम्पल एकत्रित किये थे"। साक्षी ने कहा कि मैंने विवेचक को सिर्फ यह बयान दिया था अन्य कोई बयान नहीं दिया था। यह सही है कि मैंने पीडिता X का सामान्य परीक्षण के संबंध में धारा 161 द.प्र.सं. के बयानो में नहीं बताया था। यह सही है कि मैंने सैम्पल किसको दिये थे यह अपने धारा 161 द.प्र.सं. के बयानो में नहीं बताया था। यह कहना गलत है कि मैं झूठे बयान दे रही हूं। यह कहना भी गलत है कि मेरे द्वारा डी.एन.ए. के कोई भी सेम्पल कलेक्ट नहीं किये गये। यह कहना भी गलत है कि डी.एन.ए. सैम्पल लेने से पूर्व मैंने डी.एन.ए. किट्स बगैरह का पूर्व परीक्षण नहीं किया कि ये सही थे।

36. पी0 डब्लू0 6 **गुडडी,** जो कि पीडिता X की भाभी है, से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि आज नौ तारीख है। तारीखों के संबंध में मैं नहीं जानती हूं। मुझे जो समन लेकर आया था उसमें बताया था कि नौ तारीख को जाना है। मुझे कोर्ट साहब ने बयान नहीं समझाये हैं। मैंने ऊपर अपने बयान लिखाये है। रामू काम करने के लिये बाहर जाते थे। मेरी अपनी सास से अच्छे संबंध नहीं है। मेरी सास मुझसे नहीं बोलती है, मैं उनसे नहीं बोलती हूं। मैं धौजरी की हूं। धौजरी धौर्रा के पास है। मेरी शादी भगवत से रामू ने की थी। घटना की तारीख 11 थी। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे, मैंने पुलिस को दिये गये बयानो में घटना की तारीख नहीं बतायी थी। दिशा मैदान के लिये पीडिता X मेरे साथ नहीं जाती थी, न ही पीडिता X का मुझसे कोई मतलब था। पीडिता X मुझसे अच्छी बुरी बातें नहीं बताती थी। पीडिता X मोबाइल रखती थी मुझे नहीं पता। भगवत के पास भी मोबाइल नहीं था। भगवत मेरे पहले ससुर के लड़के थे। जिस जमीन पर हम लोग रह रहे हैं वह रामू की है। धनीराम की जायदाद पर मेरे पति भगवत नहीं गये। इसी बात पर रामू हम लोगो से नाराज रहते थे और हम लोगो का आपस में झगड़ा होता था। मेरी सास इसी चीज का समर्थन नहीं करती थी। रामू से मेरी सास नाराज रहती थी या नहीं मुझे नहीं पता। न मैं रामू के यहां सुख दुख में जाती थी। रामू मजदूरी करने के लिये इन्दौर जाते थे। रामू मेरे सामने एक बार इन्दौर गये थे। X आज भी मुझसे नहीं बोलती है। X स्कूल नहीं जाती थी। X मुहल्ले में घूमती रहती थी। मुझे नहीं पता कि रामू X को मुहल्ले में घूमने से मना करता था और X नहीं मानती थी। X ने मेरे सामने कभी फोन नहीं किया न ही X ने कभी मेरे सामने अपनी मां को फोन किया। X मुझसे कभी नहीं बोली। मैं कभी भी अपनी सास के साथ थाने नहीं गयी। न ही मेरे सामने कभी रामू ने X को जान से मारने की धमकी दी। मैं कक्षा पांच तक पढ़ी हूं। मैं मजदूरी करने जाती थी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। दिनांक 22.12.2023 को मैं कहां थी मुझे नहीं पता। वर्ष

2023 में झांसी काम करने जाती थी। मेरे साथ मेरे पति भगवत व मेरे बच्चे जाते थे। झांसी में किराये से कमरा लेते थे, मैं घर मकान बनाने की मजदूरी का काम करती थी। मेरी सास का स्वभाव काफी रूखा है वह मुझे भी नहीं चाहती है। मेरे मुहल्ले में दस बीस घर है। मेरे घर के आस पास भागीरथ का मकान, गोरेलाल का मकान, रामू के भाई फगवा का मकान है और दस–दस बीस फीट और लोगों के मकान हैं। X यदि घर से खेलने जाती हो तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं उससे बोलती नहीं थी। X क्या करती थी, किससे मिलती थी मुझे कोई जानकारी नहीं है। X की मां को रामू मेरे सामने मारपीट नहीं करता था, न ही मुझे रामू के घर की कोई जानकारी रहती थी। मेरी सास इन्दौर जाने के पूर्व मुझसे कहकर नहीं गयी थी। यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे गलत बयान लिखे है। यह कहना गलत है कि मेरे पति व मेरी, रामू से लड़ाई होती थी इसलिये रामू के खिलाफ गलत बयान दिये हैं। यह कहना गलत है कि पीडिता X ने मुझे कोई घटना नहीं बतायी थी।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य को समग्र रूप से देखा जाये तो इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया है। इस साक्षी से की गयी जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहींआया है कि जिसके आधार पर घटनाक्रम के संबंध में इस साक्षी द्वारा कहे गये कथनों पर भरोसा न किये जा सके।

37. पी0 डब्लू0 7 **उपनिरीक्षक अनीता देवी** से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि पीडिता द्वारा अपने बयानो में कोई भी दिनांक व समय व किस सन में घटना घटित हुई, नहीं बताया है न ही उसके द्वारा किस तारीख, किस सन् में उसकी मां इन्दौर गयी बताया है। पीडिता X द्वारा अपने बयानों गलत काम करना बताया था, गलत काम में क्या किया यह नहीं बताया था। मैं दिनांक 13.12.2023 को थाना कोतवाली ललितपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थी, मैंने यह बात अपने बयानो में दरोगा जी को बतायी थी अगर उनके द्वारा मेरे बयान में यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूं। मैंने वीडियोग्राफी कितने एंगल से की थी मैं नहीं बता सकती हूं। वीडियोग्राफी करने से पहले मैंने पूरे कमरे का पूरा व्यू लिया था। अगर दरोगा जी ने यह बात न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। गिरफ्तारी मेमो मेरे सामने बनाया गया था यदि यह बात भी दरोगा जी ने मेरे बयानो में न लिखी हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूं। गिरफ्तारी के समय कोई स्वतन्त्र गवाह मौजूद नहीं था। अभियुक्त रामू की गिरफ्तारी उसके घर से हुई थी। रामू को उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यह बात भूल रही हूं। गिरफ्तारी का नक्शा नजरी बनाया था। गिरफ्तारी के समय मेरे साथ थानाध्यक्ष शशिभूषण, हमराही व मैं व पीडिता X की मां आदि चार–पांच लोग थे। हम लोग गाड़ी से गये थे। जिस समय रामू की गिरफ्तारी की गयी उस समय हम लोग रामू को नहीं पहचानते थे। रामू की तस्दीक पीडिता X की मां ने की थी। पीडिता X की मां थाने पर आयी थी उसी को लेकर हम लोग गये थे। गजराम पुत्र नामालूम का फोन नंबर क्या था यह नहीं बताया था। उसकी मां किस तारीख को लौटी थी इसका

उल्लेख नहीं किया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि धारा 161 द.प्र.सं. के तहत लिये गये बयानो में हस्ताक्षर नहीं होते है। यह कहना गलत है कि पीडिता X ने मुझे धारा 161 द.प्र.सं. के कोई बयान नहीं दिये और मैंने अपने उच्चाधिकारियो के दबाव में फर्जी 161 द.प्र.सं. के बयान लिख लिये। यह भी कहना गलत है कि मेरे सामने अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हो।

38. **पी0 डब्लू0 8 निरीक्षक शशि भूषण** से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि DNA सैंपल हैड कॉ० नईम के माध्यम से भेजा गया था। प्रश्न– DNA Sample सही तरीके से पहुंचाया गया या नही, इस संबंध में आपने हैड कॉ० नईम के बयान लिये थे या नहीं है उत्तर मेरे द्वारा H.C. नईम के बयान लिये गये थे, उसके द्वारा DNA Sample दाखिल करना बताया गया था। H.C. नईम को DNA Sample कब दिया गया था, मुझे ध्यान नहीं है। DNA Sample दाखिल किये जाने का दिनांक व रवानगी का दिनांक बयान में H.C. नईम द्वारा नहीं बताया गया था। रवानगी का दिनांक व जी.डी. H.C नईम द्वारा अपने बयान में नहीं बताया गया था। अभियुक्त रामू अहमदाबाद में काम करता था या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। रामू की पत्नी रामू से बहुत परेशान रहती थी, रामू की शराब पीने की आदत से अभियुक्त रामू की पत्नी ने मुझे और कुछ नहीं बताया था। अभियुक्त पर धारा 376(3) लगाने के पूर्व मेरे पास DNA रिपोर्ट नहीं थी व न आज पत्रावली पर है। मैंने इस प्रकरण में कोई SCD नहीं दाखिल की है। मैंने विवेचना के दौरान घटनास्थल से चद्दर व गद्दा, जिस पर घटना होना बताया गया है, उसे कब्जे में नहीं लिया गया था लेकिन Field Unit को मौके पर बुलाया गया था। चारपाई आदि से कोई DNA Sample नहीं collect किया गया था। पीडिता द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. में उसके बयान घटना कारित किये जाने का दिनांक व समय का उल्लेख नहीं किया गया था। पीडिता की भाभी गुडडी व पीडिता की मां से बोलचाल न होने के संबंध में, मुझे आज कुछ ध्यान नहीं हैं। पीडिता की भाभी गुडडी झांसी में निवासरत् रही थी या नही, इस संबंध में मैंने विवेचना की थी। जब अभियुक्त रामू की गिरफ्तारी की गयी, उस समय किसी स्वतंत्र साक्षी अथवा साक्षी से हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। मैंने कॉ० युवराज सिहं, जो कि FSL– Lucknow से जो कि Field unit Lalitpur में तैनात थे, का बयान नहीं लिया था। कॉ० युवराज सिहं द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। Field unit की रिपोर्ट सही थी या गलत। इस पर Field unit के कर्मचारी ही बता सकते हैं। Field unit द्वारा मौके से क्या क्या वस्तु collect की गयी थी, इस संबंध में मैंने कोई बयान अंकित नहीं किया था। पीडिता की मां किस तारीख व समय इंदौर गई थी। इस संबंध में पीडिता की मां द्वारा न बताकर केवल नवरात्रि के समय जाना बताया था। मैंने विवेचना के दौरान पीडिता की मां के इंदौर जाने व इंदौर से आने की कोई Ticket collect नहीं की थी। पीडिता की भाभी द्वारा अथवा पीडिता द्वारा फोन करके अपनी सास या मां को घटना के संबंध में जानकारी दिये जाने के संबंध में मैंने कोई साक्ष्य collect नहीं किया था न ही मैंने मोबाईल का स्क्रीनशॉट लिया था। मैंने पीडिता की मां के इंदौर जाने के संबंध में

बयानो के अलावा और कोई साक्ष्य collect नहीं किया था। मैंने पीडिता के मेडीकल का अवलोकन किया था। मेडीकल में क्या लिखा था, मुझे ध्यान नहीं है। यदि डॉ० द्वारा मेडीकल में यह लिखा गया हो कि Final opinion can be given after FSL report तो भी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉ० दीपाली जैन परमानेंट रेसीडेंट डॉक्टर नहीं थी। डॉ० दीपाली जैन मेडीको लीगल परीक्षण के लिये अधिकृत थी या नही इस संबंध में मैंने CMO से कोई प्रमाण पत्र या कागज एकत्र नहीं किया था। पत्रावली पर मौजूद प्राधिकार पत्र पेपर सं० 13क के नोट में यह उल्लेख है कि 01/01 तथा 01/02 अपूर्ण होने की स्थिति में अभियोग स्वीकार नहीं किया जायेगा। पत्रावली पर पेपर सं० 14क/1, प्रपत्र DNA परीक्षण 01/02 पर EMO के हस्ताक्षर है परन्तु रिपोर्ट कोई भी कॉलम जैसे नमूना लिये जाने का दिनांक, नमूना देने वाले व्यक्ति का नाम तथा स्त्रोत का उल्लेख नहीं है। विवेचनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर मौजूद पेपर सं० 14क/02, प्रपत्र DNA परीक्षण 02/02 पर केवल EMO के हस्ताक्षर व मुहर है व कॉलम 01 से लेकर 08 तक पूरी तक ब्लैंक है। पत्रावली पर मौजूद पेपर सं० 14क/3 प्रपत्र DNA परीक्षण के कॉलम F(1) को भरा गया है। शेष अन्य कॉलम खाली है तथा EMO के हस्ताक्षर व मुहर है।

पत्रावली पर मौजूद पेपर सं० 16क/1–02 तथा 16क/3 पर EMO के हस्ताक्षर व मुहर है परन्तु प्रविष्टियां पूर्ण रूप से भरी नहीं हुई है। अभियुक्त के गिरफ्तारी मेमो पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर मौजूद वीडियो सी.डी.27 क के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया है क्योंकि उक्त वीडियो सी.डी. मेरे ही अधिनस्थ द्वारा मेरे ही निर्देशन में तैयार की गयी थी। DNA Sample कितने दिन बाद FSL को भेजा गया, याद नहीं है। वस्तु प्रदर्श 1 पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है। DNA report पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रधानाचार्य ने मुझे पीडिता छात्रा का रोल नं० 06 प्रवेषांक 1125 अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर बताया था। विद्यालय का अभिलेख अवलोकन करने हेतु BSA की अनुमति की जरूरत नहीं होती। यह कहना गलत है कि मैंने कोई विवेचना नहीं की थी व थाने पर बैठकर कारगुजारी दिखाते हुये विवेचना की थी। यह कहना भी गलत है कि घटना के दिन अभियुक्त अहमदाबाद में मजदूरी कर रहा था परन्तु मैंने इस तथ्य की कोई तस्दीक नहीं की थी। यह कहना गलत है कि वादिनी कभी इंदौर नहीं गयी थी।

39. पी0 डब्लू0 9 **महिला कॉ० सरिता चिक लेखक** से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि वादिनी पीडिता X के साथ आई थी। टाईपशुदा तहरीर लेकर आयी थी। तहरीर पर अंगूठा निशानी पहले से लगा था। कायमी करते समय मेरे पास कोई FSL REPORT नहीं थी। पीडिता X को कोई जाहिरा चोट नहीं थी। उस रात मेरी DUTY महिला HELP DESK पर थी। DUTY–CHART में भी मेरी DUTY महिला HELP–DESK पर थी। देर से तहरीर देने का वादिनी द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था। थाना प्रभारी थाने पर मौजूद थे। F.I.R.,

वादिनी को पढकर सुनाई थी परन्तु कालम नं० 14 के अनुसार वादिनी के हस्ताक्षर नहीं कराये थे। यह कहना गलत है कि मैं उस दिन कार्य लेख पर तैनात नहीं थी। यह कहना गलत है कि मैनें थानाध्यक्ष के दबाव में आकर वादिनी से मिलकर झूठी F.I.R दर्ज की थी।

40. पी0 डब्लू0 10 **भगवत पुत्र रामू सहरिया** से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **जिरह** करने पर कथन किया गया है कि मैं झाँसी में मजदूरी करता था। वर्ष 2023 से 2024 तक लगातार झाँसी में रहकर मजदूरी करते थे मैं व मेरी पत्नी दोनों। मैं ठेकेदार के नीचे ग्राम परवई में मजदूरी करता था। गुड्डी व पीडिता X के बीच बोलचाल नहीं थी। मेरी माँ व रामू के बीच रोज झगडा होता था यह सही है। इस कारण मैं झाँसी में रहकर वहीं मजदूरी करता था। रामू ने ही हम लोगों को पाला पोसा था। मेरी बडी बहन का नाम पूजा है उसकी उम्र करीब 28–29 साल है। पूजा से छोटी रुपवती है उसकी उम्र करीब 25 साल है। उसके बाद 02 लडके हैं उनका नाम काशीराम उम्र 19 वर्ष तथा रीना उम्र 16 वर्ष है। इन सभी का जन्म प्रमाण प्रमाण पत्र मैंने नहीं देखा। पीडिता X ने घटना के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। पीडिता X ने मुझे फोन पर भी कुछ नहीं बताया था न ही पीडिता X ने कभी गुड्डी को फोन किया था। मेरे पिता की मृत्यु जब हुई थी मैं बहुत छोटा था। मेरी इस समय उम्र 32 वर्ष है। मैंने अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं देखा है। सभी की उम्र में 01–02 साल का अंतर हो सकता है। मेरी माँ किस तारीख को इन्दौर गई थीं व लौटीं मुझे नहीं पता। झाँसी में मैं राममिलन के मकान में रहता था। रामू व मेरी माँ में कमरे को लेकर कोई झगडा नहीं था उनका झगडा पहले से था। रामू के 02 कमरे हैं मेरा 01 कमरा है। आगे का कमरा मेरा है तथा पीछे के 02 कमरे रामू के हैं। मेरे घर के आस पास 08–10 मकान हैं जिनमें लोग निवास करते हैं। सरकार ने हम लोगों के घर में लैट्रिन बनवाई है जिसे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पीडिता X जब डाक्टर के पास गई थी उसके साथ मैं नहीं गया था। पूजा व रुपवती ने मुझसे कभी भी रामू के द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत करने के संबंध में नहीं बताया था। पूजा व रुपवती के साथ कभी कोई अश्लील हरकत नहीं हुई। मुहल्ले के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी रामू के द्वारा किसी के साथ कोई अश्लील हरकत करने के संबंध में नहीं बताया न ही कोई शिकायत हुई। <u>यह कहना गलत है कि न तो मेरी माँ कभी भी इन्दौर गयी और न ही पीडिता X घर में अकेले रही। यह कहना भी गलत है कि रामू ने पीडिता X के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की थी। यह कहना भी गलत है कि रामू व मेरी माँ सखी का आपस में तीव्र झगडा था जिस कारण उनके द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था।</u> यह कहना भी गलत है कि रामू को मेरी माँ पसंद नहीं करती थीं व वह उनकी हत्या कराना चाहती थीं। यह कहना भी गलत है कि रामू को मेरी माँ ने कई बार जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना भी गलत है कि मेरी माँ किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करना चाहती थीं इसी कारण रामू को रास्ते से हटाने के लिए झूठा मुकदमा कर दिया है।

अब आरोपित अभियुक्त द्वारा पीड़िता X के साथ बलात्कार किये जाने के प्रश्न पर अभियोजन साक्ष्य का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

41. इस संबंध में अभियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य स्वयं पीड़िता X का है। पी.डब्लू.2 पीड़िता X ने अपनी **मुख्यपरीक्षा** में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब उसकी माता तथा भाई–बहन मजदूरी करने इन्दौर चले गये थे और वह अभियुक्त रामू के साथ घर पर रह गयी थी, तब अभियुक्त रात्रि में उसके पास आया उसे जबरदस्ती पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, उसके द्वारा विरोध एवं चीखने पर उसकी गर्दन दबायी तथा मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा यह कृत्य लगभग एक माह तक किया जाता रहा तथा विरोध करने पर उसके साथ अभियुक्त के द्वारा मारपीट की जाती थी। बाद में उसने अपनी भाभी गुड्डी को घटना बतायी और अपनी माता को फोन द्वारा सूचना दी।

पीड़िता का उक्त कथन किसी ऐसे तथ्य से खंडित नहीं होता जिससे उसके मूल आरोप पर अविश्वास करने का पर्याप्त आधार उत्पन्न हो। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि विस्तृत जिरह के दौरान भी पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने के आरोप से इंकार नहीं किया, बल्कि अभियुक्त की ओर से किये गये इस सुझाव को स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है कि उसके सगे पिता जेरे हिरासत अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था।

42. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यौन अपराध के मामले में पीड़िता की विश्वसनीय एवं भरोसेमंद गवाही, यदि स्वाभाविक, सुसंगत और विश्वास उत्पन्न करने वाली हो, तो केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं की जा सकती कि उसका कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। ऐसे अपराध सामान्यतः एकान्त में घटित होते हैं और प्रत्येक मामले में स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी की अपेक्षा करना यौन अपराध की प्रकृति के विपरीत होगा।

43. प्रस्तुत मामले में घटना का प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध होना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं था। आरोपित अभियुक्त स्वयं पीड़िता का पिता है और अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता उसी के साथ घर में अकेली रह रही थी। पीडिता मात्र 13 वर्षीय बालिका है तथा अभियुक्त उसका सगा पिता है। अतः पीड़िता की प्रत्यक्ष गवाही का स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में होना अभियोजन मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

44. **पी.डब्लू.1 सखी**, जोकि पीड़िता की माँ है ने यद्यपि स्वयं घटना को घटित होते नहीं देखा है परन्तु उसने पीड़िता द्वारा उसे फोन पर घटना की सूचना दिये जाने तथा उसके ललितपुर लौटने पर पीड़िता द्वारा अभियुक्त के कृत्य के संबंध में बताये जाने का स्पष्ट कथन किया है। उसने अभियुक्त को न्यायालय में पहचानते हुए यह भी कहा कि उसी ने उसकी पुत्री पीडिता X के साथ घटना कारित की। जिरह में उसने

यह स्वीकार किया कि उसने स्वयं घटना नहीं देखी है किन्तु इससे पीड़िता द्वारा तत्काल बतायी गयी घटना के संबंध में उसका साक्ष्य निष्प्रभावी नहीं हो जाता।

इस संबंध में **पी.डब्लू.6 गुड्डी**, जोकि पीड़िता की भाभी है, जिसने **मुख्यपरीक्षा** में कहा कि पीड़िता ने उसे बताया था कि उसके ससुर रामू द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है और उसने पीड़िता को अपनी मां को बताने के लिए कहा था। **जिरह** में इस साक्षी ने अपने तथा अपनी सास के बीच अच्छे संबंध न होने तथा रामू के साथ पारिवारिक विवाद होने की बात स्वीकार की है तथापि उसने यह सुझाव अस्वीकार किया है कि पीड़िता ने उसे कोई घटना नहीं बतायी थी। इस प्रकार जिरह से अभियोजन के मूल कथानक का ऐसा कोई खंडन नहीं हुआ जिससे पीड़िता की गवाही अविश्वसनीय प्रतीत होती हो।

इस संबंध में **पी.डब्लू.10 भगवत** की गवाही भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि घटना की अवधि में पीड़िता को घर पर अभियुक्त के पास छोड़े जाने की परिस्थितियां मौजूद थीं। यद्यपि, उसने स्वीकार किया कि पीड़िता ने उसे स्वयं घटना नहीं बतायी, तथापि उसने अभियुक्त और पीड़िता के पारिवारिक संबंध तथा पीड़िता के घर पर रहने की परिस्थितियों का समर्थन किया है। जिरह में उसने यह भी स्पष्ट रूप से इंकार किया कि अभियुक्त के विरुद्ध झूठा मुकदमा केवल पारिवारिक विवाद के कारण बनाया गया था।

45. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता X के साक्ष्य में घटना की निश्चित तारीख एवं समय का उल्लेख नहीं है तथा अभियुक्त घटना के समय अहमदाबाद में था। यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

पीड़िता ने घटनाक्रम, परिस्थितियां तथा अभियुक्त द्वारा उसके साथ किये गये कृत्य का पर्याप्त रूप से स्पष्ट कथन किया है। यौन अपराध के प्रत्येक मामले में पीड़िता से घटना की सटीक तारीख, समय तथा मिनट तक का विवरण अपेक्षित नहीं किया जा सकता विशेषकर, तब जबकि पीड़िता घटना के समय मात्र 13 वर्षीय नाबालिग हो तथा यौन उत्पीड़न उसी के सगे पिता के द्वारा अपने घर के अंदर ही किया जा रहा हो।

जहां तक अभियुक्त के अहमदाबाद में होने का प्रश्न है, अभियुक्त ने धारा 313 दं०प्र०सं० के कथन में यह बचाव लिया है किन्तु अपने इस कथन के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल धारा 313 दं०प्र०सं० में अभियोजन साक्ष्य से इंकार कर देने मात्र से अभियोजन कथानक झूठा साबित नहीं हो जाता है।

अभियुक्त की ओर से पीड़िता की माता द्वारा सम्पत्ति के विवाद अथवा अभियुक्त को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा कायम कराने का सुझाव दिया गया है किन्तु अभियुक्त के द्वारा इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत पीड़िता ने स्वयं अपनी माता के कहने पर

झूठी कहानी बनाये जाने के सुझाव को अस्वीकार किया गया है और अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने की बात पर कायम रही है।

46. पी.डब्लू.5 के रूप में परीक्षित हुई डॉ० दीपाली जैन ने पीड़िता X का चिकित्सीय परीक्षण किया। उनके अनुसार पीड़िता ने घटना के होने के संबंध में कथन किया है तथा जननांग परीक्षण के दौरान डॉ० के द्वारा पीडिता के जननांग में दर्द होना पाया गया है। हाइमन पुरानी रूप से फटी एवं healed and torn अवस्था में पायी गयी। चिकित्सक ने डी.एन.ए. परीक्षण हेतु नमूने भी लिये थे।

47. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा यह स्थापित किया जा चुका है कि पीड़िता घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की बालिका थी तथा उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय है। ऐसी स्थिति में पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 में निहित वैधानिक उपधारणा भी विचारणीय हो जाती है।

धारा 29 का उद्देश्य ऐसे अपराधों में, जब अभियोजन आवश्यक प्रारम्भिक तथ्य स्थापित कर देता है, अब अभियुक्त पर यह भार है कि वह उक्त वैधानिक उपधारणा को rebut करे। अभियुक्त द्वारा मात्र सामान्य इंकार, पत्नी द्वारा षड्यंत्र किये जाने का आरोप तथा अहमदाबाद में होने का कथन किया गया है परन्तु इन बचावों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन के स्थापित मामले का खंडन हो सके।

पीड़िता ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन कथानक का अपने मौखिक साक्ष्य में समर्थन किया है और जिरह में वह अपने मूल आरोप पर कायम रही है। उसके साक्ष्य में आये नगण्य विरोधाभास अथवा तारीख एवं समय के संबंध में अनिश्चितता उसके कथन के मूल सार को प्रभावित नहीं करती है।

48. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि पीड़िता ने घटना के संबंध में अपने भाई भगवत को नहीं बताया और गुड्डी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। यह तथ्य अभियोजन के मामले को समाप्त नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को घटना बताना पीड़िता के लिए जरूरी नहीं था। पीड़िता ने अपनी माता को घटना बताने का स्पष्ट कारण और माध्यम बताया है तथा उसका यह कथन अभियोजन कथानक की मूल धुरी है।

49. अतः समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक् मूल्यांकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपने कथानक को अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि पीड़िता X घटना के समय 16 वर्ष से कम आयु की बालिका थी, अभियुक्त रामू ही वह व्यक्ति था जिसके साथ पीड़िता घटना की अवधि में घर पर रह रही थी, अभियुक्त ने पीड़िता को जबरन पकड़ा, उसके कपड़े उतारे तथा उसके साथ प्रवेशन लैंगिक कृत्य किया, जिसका विरोध करने पर पीडिता को अभियुक्त के द्वारा शारीरिक बल एवं धमकी का प्रयोग किया गया

व अभियुक्त के द्वारा यह कृत्य पीडिता के विरूद्ध लगभग एक माह तक किया जाता रहा जब तक की पीडिता के द्वारा वादिया मुकदमा अपनी माँ फोन पर अभियुक्त के इस कृत्य की सूचना दे दी गयी तथा वादिया मुकदमा मौके पर पहुंची। अभियुक्त अपने बचाव में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा जिससे पीड़िता के स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न होता हो।

अतः विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (ii) अभियोजन के पक्ष में तथा अभियुक्त के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

50. <u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iii)</u>

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iii) इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पीड़िता X की गवाही अभियोजन के मामले की आधारभूत एवं प्रत्यक्ष गवाही है। पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ किये गये कृत्य का स्पष्ट साक्ष्य दिया है और जिरह के दौरान भी वह अपने मूल आरोप से विचलित नहीं हुई। पीड़िता की आयु संबंधी साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं तथा घटना के समय उसका 16 वर्ष से कम होना स्थापित है।

अभियुक्त द्वारा लगाया गया झूठे मुकदमे में फंसाये जाने का बचाव भी किसी भी साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः अभियोजन साक्ष्य को समग्रता में देखने पर अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में ऐसा कोई वास्तविक संदेह शेष नहीं रह जाता है जो उसे दोषमुक्त किये जाने का आधार बन सके।

अतः विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iii) अभियोजन के पक्ष में तथा अभियुक्त के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

51. <u>निस्तारण विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iv)</u>

विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iv) इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त अपनी निर्दोषता को साबित करने में सफल रहा है?

अभियुक्त द्वारा धारा 313 दं०प्र०सं० के अपने कथन में अभियोजन साक्ष्य को असत्य बताते हुए अपनी पत्नी द्वारा षड्यंत्र किये जाने, पीड़िता को बहला–फुसलाकर झूठा आरोप लगवाये जाने तथा घटना के समय स्वयं अहमदाबाद में होने का कथन किया गया है। तथापि इन बचाव कथनों के समर्थन में आरोपित अभियुक्त द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा लिया गया बचाव केवल नकारात्मक एवं सामान्य प्रकृति का है। दूसरी ओर पीड़िता का प्रत्यक्ष साक्ष्य स्पष्ट है तथा उसके मूल आरोप को जिरह में भी प्रभावी रूप से खंडित नहीं किया जा सका। अतः अभियुक्त अपनी निर्दोषता के संबंध में उपलब्ध वैधानिक उपधारणा को **rebut** करने

में भी असफल रहा है। परिणामस्वरूप विनिश्चयात्मक बिन्दु संख्या (iv) अभियुक्त के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

52. मामले की उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य की समीक्षा के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप कि दिनांक 13.12.2023 को समय करीब 00.12 बजे स्थान ग्राम महेशपुरा थाना कोतवाली जिला ललितपुर में आरोपित अभियुक्त ने अवयस्क पीडिता, जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आने वाला अपराध कारित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

53. अतः आरोपित अभियुक्त **रामू** अंतर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश।

<u>आदेश</u>

54. अभियुक्त **रामू पुत्र प्यारेलाल, निवासी महेशपुरा, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर** को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 151/2024, मुकदमा अपराध संख्या 972/2023 अंतर्गत धारा 376(3) व 506 भा0 दं0 सं0 व धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर नहीं है, अपितु जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु मध्यावकाश के उपरान्त पेश हो।

दिनांकः— 13.08.2026

(नवनीत कुमार भारती)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)
ललितपुर।

मध्यावकाश उपरान्त

55. पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु मध्यावकाश उपरान्त पेश हुई। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त रामू तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्री नरेन्द्र पाल सिंह गौर को सविस्तार सुना गया।

56. अभियुक्त की ओर से दण्ड में सहानुभूति बरतने का निवेदन करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह परिवार का भरण—पोषण करने वाला व्यक्ति है तथा उसके परिवार के सदस्य उसके आश्रित हैं। अतः अभियुक्त को न्यून से न्यून दण्ड से दण्डित किया जाये।

57. इसके विपरीत, अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी, उसकी आयु 13 वर्ष थी और आरोपित अभियुक्त स्वयं उसका सगा पिता है। अभियुक्त ने अपने ही संरक्षण में रहने वाली अपनी सगी पुत्री अवयस्क बालिका की लाचार स्थिति का लाभ उठाते हुये उसके साथ बलात्कार कारित किया है। अतः अपराध की प्रकृति, पीड़िता की कम आयु, अभियुक्त एवं पीड़िता के मध्य विश्वास एवं संरक्षण के संबंध तथा पीड़िता पर पड़े शारीरिक एवं मानसिक आघात को दृष्टिगत रखते हुए कठोर दण्ड दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसी की याचना की गयी है।

58. दण्ड निर्धारण का उद्देश्य केवल अपराधी को दण्डित करना नहीं, बल्कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप न्याय करना, समाज में विधि के शासन के प्रति विश्वास बनाये रखना तथा भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना भी है। विशेषतः बालिका के विरुद्ध लैंगिक अपराध में न्यायालय को अपराध की प्रकृति, पीड़िता की आयु, अपराधी की स्थिति, अपराध के तरीके, पीड़िता के साथ विश्वास के संबंध के दुरुपयोग तथा अपराध के शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में पीड़िता कोई वयस्क युवती नहीं बल्कि घटना के समय 13 वर्ष की बालिका थी। अभियुक्त कोई अजनबी व्यक्ति भी नहीं था बल्कि वह पीड़िता का सगा पिता है। पीड़िता अभियुक्त के संरक्षण में थी और उसी परिस्थिति का लाभ उठाकर अभियुक्त द्वारा उसके साथ लैंगिक अपराध कारित किया गया। पीडिता की यह अबोध परिस्थिति अपराध की गंभीरता को अत्यधिक बढ़ा देती है।

अभियुक्त ने अपने ही घर एवं पारिवारिक संरक्षण की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए पीड़िता के साथ अपराध कारित किया है। इस प्रकार अभियुक्त ने केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं किया बल्कि उस विश्वास और संरक्षण के दायित्व का भी गंभीर उल्लंघन किया है जो सगे पिता के रूप में उसके ऊपर था। अपराध का प्रभाव पीड़िता के जीवन पर दीर्घकालिक है। बाल्यावस्था में होने वाले ऐसे अपराध से पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, शिक्षा तथा भविष्य के व्यक्तित्व पर गंभीर प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।

59. लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 42 वैकल्पिक दण्ड का प्राविधान करती है जिसके अनुसार यदि अभियुक्त की दोषसिद्धि इस अधिनियम के अन्तर्गत तथा धारा 42 में उल्लिखित भा०दं०सं० की धाराओं के अन्तर्गत भी होती है तो उस दशा में अभियुक्त उस दण्ड के लिये दायी होगा जो मात्रा में गुरूत्तर है। प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 13.12.2023 की है और उक्त तिथि पर प्रवृत पाक्सो अधिनियम की धारा 42 प्रभावी थी। धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यह प्रतिपादित करती है कि प्रवेशन लैंगिक हमले के लिये दंड जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत

जीवनकाल के लिये कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 376(3) भा०दं०सं० यह प्राविधानित करती है कि जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्संग कारित करेगा, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, परन्तु आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल तक का कारावास अभिप्रेत होगा, तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। चूंकि यह न्यायालय एक विशेष न्यायालय है और पाक्सो अधिनियम से सम्बन्धित मामले का विचारण सम्पादित कर रही है ऐसे में अभियुक्त को धारा 376(3) भा०दं०सं० में दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

60. अतः दण्ड के निर्धारण हेतु अभियुक्त की आयु, अपराध की प्रकृति दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा पुनः अपराध कारित करने की संभावना न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले दण्ड से दोषसिद्ध अभियुक्त, वादी के परिवार तथा समाज मे पड़ने वाले प्रभाव, प्रश्नगत अपराध के लिये विधि मे दिये गये दण्ड एवं अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड के बीच समानुपातिकता के सिद्धांत तथा मामले के सम्पूर्ण तथ्यो एवं परिस्थितियो पर विचार करने पर अभियुक्त को निम्न सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार आदेश।

दण्डादेश

61. अभियुक्त **रामू पुत्र प्यारेलाल, निवासी महेशपुरा, थाना कोतवाली, जनपद ललितपुर** को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 151/2024, मुकदमा अपराध संख्या 972/2023 अंतर्गत धारा **376(3) भा0 दं0 सं0** के दण्डनीय अपराध के आरोप में अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये कठोर कारावास एवं 30,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

चूंकि अभियुक्त को गुरुत्तर दण्ड अन्तर्गत धारा 376(3) भा०दं०सं० के अपराध के आरोप में दण्डित किया जा रहा है। ऐसे में धारा 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध में अलग से दण्डादेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अभियुक्त को धारा **506 भां०दं०सं०** के दण्डनीय आरोप में 02(दो) वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि अदा किये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि पीडिता X को प्रतिकर के रूप में अदा की जायेगी।

सभी मौलिक सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

माल मुकदमाती जो भी वस्तु प्रदर्श हों, वह बाद मियाद अपील अथवा माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारित किये जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर उसे सजा भुगतने हेतु जिला कारागार, ललितपुर भेजा जाये।

दोषसिद्ध अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

इस निर्णय की एक प्रति धारा 365 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर को नियमानुसार प्रेषित की जाये।

दिनांक– 13.08.2026 **(नवनीत कुमार भारती)**
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)
ललितपुर।

यह निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 13.08.2026 **(नवनीत कुमार भारती)**
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)
ललितपुर।